आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1946 का नियम)

केस का प्रकार–112/2014 वन्दना कुमारी वनाम राज्य एवं अन्य
16/15–16

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश के आलोक में की गई कार्रवाई का पत्रांक एवं दिनांक
16.5.2017	**आदेश** उप निदेशक कल्याण, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर के विविध वाद अपील संख्या 112/2015 वन्दना कुमारी वनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में दिनांक 14.08.2015 को पारित आदेश के साथ अभिलेख उनके पत्रांक 218 दिनांक 10.09.2015 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3226, दिनांक 11.08.2015 के अनुशरण में आंगनवाड़ी केन्द्र पर सेविका/सहायिका के चयन/चयनमुक्ति के मामलों में निर्णय लेने हेतु हस्तान्तरित किया गया है। उपरोक्त के आलोक में आंगनबाड़ी अपील वाद पंजीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने वास्ते नोटिश जारी किया गया। अपीलवाद में कहा गया है कि दिनांक 20.08.2008 को निरपुर पंचायत के जमुआ गॉव में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–63 के सेविका चयन हेतु आमसभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वार्ड सदस्य शोभा देवी के द्वारा किया गया। आमसभा में सेविका पद हेतु कुल 04 (चार) आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें वन्दना कुमारी का सर्वोच्च मेघा अंक 90.86 प्रतिशत अंक पाया गया एवं पोषक क्षेत्र की आवेदिका थी। उक्त पोषक क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का बाहुल्य क्षेत्र है। मेघा सूची में सर्वोच्च अंक एवं प्रथम स्थान पर रहने वाली आवेदिका वंदना कुमारी का चयन सर्वसम्मति से मार्गदर्शिका के नियमानुसार किया गया। चयन पत्र निर्गत होने के पश्चात सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद वन्दना कुमारी को उक्त आंगनबाड़ी केन्द्र पर पदस्थापित हुई तथा केन्द्र का संचालन 2008 से ही विधिवत करते आ रही है। उनके विरूद्ध कोई भी शिकायत ग्रामीणों द्वारा नहीं किया गया है। उनपर लगाया गया आरोप निराधार, है तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 08.08.2014 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। अभिलेख में संलग्न कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि :– श्री अनोज कुमार पिता–बागेश्वर रजक ग्राम–जमुआ,पो0–केशवनगर थाना–चौथम, जिला–खगड़िया से प्राप्त परिवाद पत्र के आधार पर वाद संख्या–34/2013 प्रारंभ की गयी है। यह वाद सेविका के चयन में अनियमितता से संबंधित है। अनोज कुमार के अधिवक्ता का पक्ष है कि दिनांक 20.06.2008 को ग्राम पंचायत–जमुआ गॉव में आंगनबाड़ी केन्द्र सं0–63 के लिए सेविका पद पर चयन हेतु आमसभा का आयोजन किया गया जिसमें सेविका/सहायिका का चयन मार्गदर्शिका 2006 के विपरित वन्दना कुमारी का किया गया है। उनका यह भी कथन है कि मार्गदर्शिका 2006 के अनुसार	

परियोजना पदाधिकारी, चौथम को आदेश दिया गया कि केन्द्र सं0–63 पर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, खगड़िया के प्रतिवेदन पत्रांक 14 दिनांक 25.01.17 से प्रतिवेदित किया गया है कि सेविका चयन हेतु केन्द्र सं0–63 जमुआ मुसहरी, पंचायत–नीरपुर पर आमसभा की बैठक दिनांक 20.06.08 को बुलाई गई थी तथा विभागीय पत्रांक 2783/03.10.06 से प्रकाशित मार्गदर्शिका 2006 का उल्लेख करते हुए उक्त बैठक में श्रीमती वन्दना कुमारी पति रामाशीष पोद्दार का चयन सेविका पद पर किया गया। चयन मार्गदर्शिका के अनुसार "बैठक में संबंधित आंगबाड़ी केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरूष की संख्या के दासवें भाग के बराबर लाभुकों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा"। परन्तु आम सभा पंजी देखने से स्पष्ट होता है कि इस नियम का पालन पूर्णतः नहीं किया गया है तथा अपेक्षित फोरम पूरा नहीं किया गया हैं। इसी के आधार पर ही उक्त सेविका को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 1054/19.11.14 से चयनमुक्त भी किया गया था तथा नये सिरे से चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने का आदेश भी दिया गया है। उनके द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त केन्द्र पर नये सिरे से बहाली हेतु विज्ञान प्रकाशित किया जा चुका है तथा आवेदन भी प्राप्त किये जा चुके हैं और निदेश प्राप्त होने पर बहाली की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वन्दना कुमारी का चयन मार्गदर्शिका 2006 के अनुरूप नहीं किया गया है। उनके अधिवक्ता का यह कहना कि प्रतिवादी द्वारा शिकायत 4 वर्ष 5 महीना बाद किया गया है यह किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। अतः अपीलार्थी के अपील आवेदन को खारीज किया जाता तथा जिला प्रोग्रान पदाधिकारी, खगड़िया द्वारा दिनांक 08.08.2014 को पारित आदेश को सम्पुष्ट किया जाता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, चौथम को आदेश दिया जाता है कि केन्द्र संख्या–63 पर नियमानुसार चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्ता,
खगड़िया।

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

आदेश का क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0 280 /विधि, दिनांक 29/8/2013 प्रतिलिपिः–जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपिः–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि आदेश जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, खगड़िया। 29/8/13	